

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1-2**

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 3-11**

स्वास्थ्य संस्थाओं के अंतर्गत वेतन, महंगाई, अन्य भत्ता, नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना तथा सामग्री आपूर्ति आदि मद में कुल रूपये 82.66 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 900 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 12**

गहन पशु विकास परियोजना अंतर्गत कार्यभारित आकस्मिकता वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 17,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 13**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कृषि पंपों के ऊर्जाकरण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु राशि रूपये 11000.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 110,00,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 14-15**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु राशि रूपये 283.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,83,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 16**

धमतरी जिले के तीन लघु सिंचाइ योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति के रूप में वन विभाग को भुगतान किये यजाने हेतु रूपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है । यह विभाग के दूसरे मांग संख्या से राशि समर्पित कर दिया जाना है ।

अतः इस हेतु रूपये 300.00 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 17**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अटल ज्योति योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को घरेलू प्रकाश निरन्तर विद्युत उपलब्धता व्यवस्था बनाने हेतु राशि रूपये 5000.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।